M.P. JUDICIAL SERVICE (CIVIL JUDGE) MAIN EXAMINATION -2014

अनुक्रमांक/Roll No.		
No. of	Printed Page	s:4

Total No. of Questions: 7 कुल प्रश्नों की संख्या: 7

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 4 WS, CRIMINAL LAWS & PROCEDURE

LOCAL LAWS, CRIMINAL LAWS & PROCEDURE स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया

Third Question Paper तृतीय प्रश्न-पत्र

समय - 3:00 घण्टे Time Allowed - 3:00 Hours

पूर्णांक — 100 Maximum Marks — 100

निर्देश :-Instructions :-

- 1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.

 सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
- 2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

 उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अविधिका किसी स्थान पर आपना नाम या

उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.

सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर—पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मृल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

Q.No. / प्र.क्र.

Question / प्रश्न

Marks /अंक

8

8

M.P. ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961 म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961

1(a) What is composite tenancy? Describe the legal necessities for a decree of eviction from an accommodation given on rent for the composite purpose on the ground of bona fide need only for non-residential purpose.

समिष्ट (संयुक्त) किरायेदारी क्या है ? केवल गैर—निवासीय प्रयोजन के लिए सद्भावी आवश्यकता के आधार पर समिष्ट प्रयोजन से किराये पर दिये गए स्थान से निष्कासन की डिक्री के लिए विधिक आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए।

1(b) Discuss, whether denial of the land-lord's title in the written statement can provide ground for eviction of tenant? Whether question of title is decided finally in eviction suit? Discuss briefly with relevant law.

क्या किराये दार द्वारा लिखित कथन में भूमि स्वामी के स्वत्व को अस्वीकार करना निष्कासन का आधार होगा ? वर्णित करें। क्या निष्कासन के बाद में स्वत्व का प्रश्न अंतिमतः विनिश्चित होता है ? संक्षिप्त रूप से संबंधित विधि के साथ विवेचित करें।

M.P. LAND REVENUE CODE, 1959 म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959

- 2(a) What are the rights and liabilities of a Government lessee? How does a Government lessee differ from a person holding service land?
 - सरकारी पट्टेदार के अधिकार तथा दायित्व क्या हैं ? एक सरकारी पट्टेदार, सेवा भूमि धारण करने वाले व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न है ?
- 2(b) Describe the procedure of preparation of a Nistar Patrak.
 8
 Explain the distinction between the Nistar Patrak and the Wajib-ul-arz?

निस्तार-पत्रक तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। निस्तार-पत्रक और वाजिब-उल-अर्ज में भेद समझाइए।

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

- 3(a) How can a party impeach the credit of witness in following circumstances?
 - (i) its own witness and
 - (ii) A witness produced by the opposite party. साक्षियों की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप निम्न परिस्थितियों में कैसे किया जा सकता है ?
 - (1) पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से, और
 - (2) प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्षी से ।
- 3(b) What does mean by secondary evidence? In which cases, secondary evidence relating to documents can be given?

 द्वितीयक साक्ष्य से क्या अभिप्राय है ? किन मामलों में दस्तावेजों से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य दी जा सकती है ?

INDIAN PENAL CODE, 1861 भारतीय दण्ड संहिता, 1861

- 4(a) Describe the offences relating to "trafficking of person" and exploitation of a "trafficked person"?

 ''व्यक्ति के दुर्व्यापार'' से संबंधित अपराध एवं ऐसे व्यक्ति जिसका दुर्व्यापार किया गया है, उसके साथ किये गये शोषण को समझाइये?
- 4(b) What is criminal trespass ? Whether the offence of criminal trespass can be committed with respect to a movable property? Explain with example.

 आपराधिक अतिचार क्या है ? क्या चल संपत्ति के संबंध में आपराधिक अतिचार का अपराध कारित किया जा सकता है ? उदाहरण सहित समझाइए।

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

5(a) How to exercise the power of arrest? Explain duty of Judicial Magistrate in exercise of power under Section 167 Cr.P.C.?

गिरफ्तारी की शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाये? धारा 167 द.प्र.सं. के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय न्यायिक मजिस्ट्रेट के कर्तव्य स्पष्ट करें?

5(b) What is joinder of charges? What persons can be charged jointly? Explain.

आरोपों का संयोजन क्या है? किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकता है? समझाइए।

NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

6. Which Court has territorial Jurisdiction to entertain complaint of dis-honour of cheque? Explain with reference to latest law.

चैक अनादर का परिवाद ग्रहण करने का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार किस न्यायालय को है? नवीनतम विधि के सन्दर्भ में स्पष्ट करें?

MIXED मिश्रित

- 7. Write Short-notes on :
 (A) Mens rea
 (B) Investigation
 (C) Tender of pardon
 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :-
- (अ) आपराधिक मनःरिथति
- (ब) अन्वेषण
- (स) क्षमा दान
